दिनांक : 27/07/2020
पत्रांक संख्या : म.प्र/वि/238

प्रैस विज्ञप्ति

विषय : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कोरोना पीड़ित होने का झूठ, चिरायु अस्पताल के हेल्थ बुलेटिन में कई खामियां

मध्य प्रदेश शासन के पूर्व स्वास्थ मंत्री व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजा पटेरिया ने अपने निवास स्थान पर प्रैस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी पर हल्ला बोला हैं। पूर्व मंत्री ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों को छला हैं। मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनावों में जनता का प्यार पाने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी कोविड-19 की जाली रिपोर्ट तक बनवाई हैं। पूर्व मंत्री श्री पटेरिया ने बताया कि चिरायु अस्पताल सिर्फ धन बल वाले लोगो का अड्डा बन चुका है वहां गरीबों का ईलाज तक नहीं होता हैं। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को जनता के सामने यह बताना चाहिए कि क्या पिछले सौलाह साल में वह एक ऐसा अच्छा सरकारी अस्पताल नहीं बना सके जहां वह खुद अपना ईलाज करवा सकते थें, आखिर मुख्यमंत्री को प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना ईलाज करवाने की क्या जरूरत थी। पूर्व मंत्री श्री पटेरिया ने तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी से पूछा हैं " यह कैसा इंसाफ हैं कि जनता सरकारी अस्पताल में लाइन लगाएं और नेता प्राइवेट अस्पतालों में मौज उड़ाएं"।

पूर्व मंत्री श्री राजा पटेरिया ने चिरायु अस्पताल द्वारा जारी दिनांक : 23/07/2020 को दिखाते हुए पूछा कि भोपाल स्थित प्राइवेट चिरायु अस्पताल बताएं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ईलाज करने वाले व हेल्थ बुलटिन जारी करने वाले डॉ.गोयनका कौन हैं ? उन्होंने हेल्थ बुलेटिन पर अपने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए ? उन्होंने हेल्थ बुलेटिन पर अपना पदनाम व मोहर क्यों नहीं लगाया ? आज मध्य प्रदेश की करोड़ों जनता जानना चाहती हैं कि डॉ. गोयनका ने मुख्मंत्री की हेल्थ बुलेटिन जारी करते समय अपनी जानकारी क्यों छुपाई ? पूर्व मंत्री श्री राजा पटेरिया ने कहा कि यह एक बहुत बड़ी साजिश हैं जनता को भ्रमित करने की और इसके लिए तुरंत भोपाल स्थित चिरायु अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। श्री पटेरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कोरोना संबंधित जारी हेल्थ बुलेटिन की जांच हो व जो चिकित्सा परिषद (पेशेवर व्यवहार, शिष्टता और नैतिकता) विनियमन 2002 की धारा 1.4 व अन्य कई नियमों का उलंघन किया गया हैं इसके लिए संबंधित डॉक्टर पर अति तत्काल कार्रवाई की जाए व मध्य प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री यह बताएं की आखिर उन्हें कोविड-19 संबंधित अफवाह को पूरे प्रदेश में फैलाने कि क्या जरूरत थी।

राजा पटेरिया
पूर्व स्वास्थ मंत्री
(मध्य प्रदेश शासन)
उपाध्यक्ष : मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी
संपर्कसूत्र : 09425405733

सादर प्रकाशन हेतु प्रेषित :

संलग्न प्रतिलिपि :
(1) रिपोर्ट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज